

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्र. :- 95 / 2016)
(संस्थित दिनांक :- 08 / 03 / 16)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत, उम्र 35 वर्ष,
निवासी :- वार्ड क्रमांक 13 द्वारिकापुरी मौ, थाना-मौ, जिला :- भिण्ड (म.प्र.)।
..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 24 / 07 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी सुरेन्द्र सिंह पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 24 / 01 / 2016 को रात्रि लगभग 10:05 बजे द्वारिकापुरी मौ स्थित हैण्डपम्प के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार बका बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 24 / 01 / 2016 को थाना मौ के सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल सनौरिया फोर्स के साथ कस्बा गश्त करते हुए रात्रि लगभग 10:05 बजे द्वारिकापुरी हैण्डपम्प के पास पहुँचे, तो आरोपी सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह विश्वकर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी : द्वारिकापुरी हाथ में नंगा लोहे का बका धारदार कोई अपराध घटित करने की नियत से लिये हुये मिला, जिसे घेरकर पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछा एवं आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् आरोपी के कब्जे से अवैध छुरा साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी सुरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21 / 2016 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरक्षक राधामोहन एवं लाखन के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी सुरेन्द्र ने दिनांक :- 24/01/2016 को रात्रि लगभग 10:05 बजे द्वारिकापुरी मौ स्थित हैण्डपम्प के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11 बी (1) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार बका बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी भैयालाल सनोरिया अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 24/01/2016 को पुलिस थाना मौ में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 27 में रवानगी अंकित कर कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुआ था, उक्त रोजनामचा सान्हा रवानगी की प्रति प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि वह गश्त करता हुआ जैसे ही द्वारिकापुरी हैण्डपम्प के पास पहुँचा, तो एक व्यक्ति हाथ में नंगा लोहे का बका धारदार कोई अपराध घटित करने की नियत से लिये मिला, जिसे घेरकर पकड़ा और नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेन्द्र पुत्र रघुवीर विश्वकर्मा, निवासी : द्वारिकापुरी मौ का होना बताया। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण के समक्ष लोहे का धारदार बका जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ पर उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक 28 पर वापसी इन्द्राज की गई थी, उक्त रोजनामचा वापसी की प्रति प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर

है। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/16 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत एफआईआर लेखबद्ध की गई थी, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत धारदार बका, वही बका है, जो उसके द्वारा आरोपी सुरेन्द्र से घटनास्थल पर जब्त किया गया था, जो आर्टिकल ए-01 है।

08. अभियोजन साक्षी राधामोहन अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 24/01/2016 को पुलिस थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल सनोरिया के साथ कस्बा गश्त के लिए रवाना हुआ था, गश्त करते हुए जब वह द्वारिकापुरी हैण्डपम्प के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति हाथ में लोहे का बका लिये अपराध करने के आशय से खड़ा मिला, जिसे साथी पुलिसकर्मियों द्वारा घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी :- द्वारिकापुरी मौ, का होना बताया। आरोपी से उक्त बका रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि तब सनोरिया दरोगा जी ने उसके सामने उक्त बका जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् सनोरिया दरोगा जी ने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् आरोपी को जब्तशुदा बका के साथ लेकर थाने पर सनोरिया दरोगा जी द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं उसका बयान लिया गया।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल अ.सा.02 का कहना है कि वह कस्बा गश्त हेतु आरक्षक राधामोहन के साथ रात्रि लगभग 09:00 बजे थाने से निकला था। जबकि राधामोहन अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह सनोरिया दरोगा जी के साथ रात्रि साढ़े नौ बजे कस्बा भ्रमण के लिए निकला था। इस प्रकार भैयालाल अ.सा.02 एवं राधामोहन अ.सा.03 आरोपित घटना दिनांक को कितने बजे थाने से निकले थे, इस वावत् उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। उल्लेखनीय है कि भैयालाल अ.सा.02 रात्रि 09:00 बजे थाने से निकले का तथ्य दर्शित करता है, जबकि रवानगी रोजनामचा की प्रति प्र.पी.04 में भैयालाल के थाना मौ से प्रस्थान का समय रात्रि 09:30 बजे का अंकित है। इस प्रकार प्रस्थान के समय के संबंध में भैयालाल अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं रवानगी रोजनामचा की प्रति प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य रवानगी के समय के संबंध में गंभीर विरोधाभास है, जो कि आरोपित घटना के संबंध में अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाती है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल अ.सा.02 का कहना है कि वह बस स्टेण्ड मौ रात्रि लगभग 09:40 बजे पहुँच गया था और द्वारिकापुरी अर्थात् घटनास्थल रात्रि लगभग 10:05 बजे पहुँच गया था। जबकि उसके साथ

पुलिसकर्मी राधामोहन अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि हम लोग द्वारिकापुरी अर्थात् घटनास्थल 10:10 बजे पहुँचे थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राधामोहन अ.सा.03 का कहना है कि दरोगा जी अर्थात् भैयालाल सनौरिया अ.सा. 02 ने जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही रात्रि 10:30 बजे की थी। जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में आरोपी से लोहे का बका जब्त होने का समय 22:05 अर्थात् 10:05 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 में गिरफ्तारी का समय 22:15 अर्थात् रात्रि 10:15 होना अंकित है। इस प्रकार भैयालाल अ.सा.02 एवं राधामोहन अ.सा.03 घटनास्थल द्वारिकापुरी मौ कितने बजे पहुँचे एवं भैयालाल द्वारा आरोपी से आयुध जब्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही कितने बजे की गई, इस वावत् उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। ऐसी दशा में जबकि राधामोहन अ.सा.03 के अनुसार वह और भैयालाल अ.सा.02, घटनास्थल द्वारिकापुरी मौ पहुँचे ही रात्रि 10:10 बजे थे और भैयालाल द्वारा जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही साढ़े दस बजे की गई थी, तब भैयालाल अ.सा.02 के द्वारा आरोपी सुरेन्द्र से रात्रि लगभग 10:05 बजे धारदार बका घटनास्थल पर जब्त किया जाना एवं आरोपी सुरेन्द्र को रात्रि लगभग 10:15 बजे गिरफ्तार किया जाना संभव ही नहीं है। इस प्रकार उक्त तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाते हैं।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में सहायक उपनिरीक्षक भैयालाल अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 में आरोपी को हैण्डपम्प के पास से गिरफ्तार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें आरोपी सुरेन्द्र को द्वारिकापुरी मौ में किसी हैण्डपम्प के पास से गिरफ्तार किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि स्वयं भैयालाल अ.सा.02 द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में घटनास्थल हैण्डपम्प के पास द्वारिकापुरी मौ होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार घटनास्थल की विशिष्टियों के संबंध में गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02, जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है।

12. जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा लोहे के धारदार बका के मौके पर ही सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख ना तो जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर है, और ना ही उक्त तथ्य का उल्लेख जब्तीकर्ता भैयालाल अ.सा.02 द्वारा जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर किया गया। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर अस्पष्ट नमूना सील अंकित है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह प्रमाणित नहीं होता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 का बका वही बका है, जो कथित रूप से आरोपित घटना में आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था।

13. जब्ती एवं गिरफ्तारी पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी लाखन अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर उसकी अंगूठा निशानी होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर भी उसके समक्ष आरोपी सुरेन्द्र से कोई धारदार बका जब्त होने का तथ्य, आरोपी सुरेन्द्र को गिरफ्तार किये जाने का तथ्य और साक्षी भईयालाल अ.सा. 02 द्वारा उसके कथन लेखबद्ध किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुरेन्द्र ने दिनांक :- 24/01/2016 को रात्रि लगभग 10:05 बजे द्वारिकापुरी मौ स्थित हैण्डपम्प के पास सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार बका बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी सुरेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सुरेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का बका मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद